संख्या-01/2020/72जेएल/22-3-2020-200(2)/2019

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2020***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-111/2019/4210जेएल/22-3-19-200(2)/2019, दिनांक 30-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1206/प्रो0अनु0(2)-210/2019/होमलीव, दिनांक 10-01-2020 में दी गयी सहमति एवं सिद्धदोष महिला बंदियों-(1)सुन्दारा एवं (2) रजन्ना पुत्रीगण जफ्फू, निवासी-मोहल्ला फतेहगंज, थाना-मल्लावा, जनपद-हरदोई द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त महिला बंदियों को पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या-01/2020/72जेएल(1)/22-3-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 कारागार राज्य मंत्री, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1206/प्रो0अनु0(2)-210/2019/होमलीव, दिनांक 10-01-2020 के संदर्भ में।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in